(d) other steps taken by the Government to encourage sericulturists in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) The imports of raw silk are basically allowed under the export promotion schemes of the Export-Import Policy. Such imports have not had any adverse impact On silk production in the country which has substantially increased from 10651 metric tonnes in 1938-89 to 14140 metric tonnes in 1992-93. However, commencing from September. 1992, there has been downward trend in the prices of silk in the country and this is partly tributed to the increased availability of raw silk on account of increase in indigenous production and partly due to availability of imported silk in the country.

While there is no proposal to impose a ban on import of raw silk (in-eluding Chinese silk), the Government is contemplating various steps to stabilise the prices of indigenous raw silk including review of the provisions of the Advance Licensing Scheme for silk textile products. In this connection, the suggestion for restricting import of low grade raw silk under this scheme has also been taken note of.

(d) In order to encourage the sericulturists in the country, the Central Silk Board is supplementing the efforts of various State Governments ny providing necessary support through its country-wide network of Research, Extension and Training units. Besides, the Central Silk Board is also implementing a number of assistance programmes schemes to encourage the farmers to take up sericulture.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना

2712. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल में किये गये संशोधनों के माध्यम से निर्यात हेतु रेशम उत्पादों का निरीक्षण कराने के बाद जनरलाइज्ड सिस्टम आफ प्रीफरेन्स का प्रमाण पत्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड से प्राप्त करना आवश्यक कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा देश में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधीन नई शाखायें स्थापित कर दी गई हैं ताकि निर्यातक उक्त प्रमाण-पत्र निकटतम कार्यालय से प्राप्त कर सकें ;

(ग) यदि हां, तो देश में किन-किन स्थानों पर नई अथवा पुरानी शाखाएं जुलाई, 1993 के अन्त में कार्य कर रहीं थीं ;

(घ) क्या सरकार ने प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से संबंधित प्रक्रिया में संशोधन कर दिया है जिससे कोई भी पक्ष नियमों को अपने पक्ष में तोड़ मरोड़ कर लाभ न उठा सके ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड जनरलाइज्ड सिस्टम आफ प्रीफरेंस योजना की शुरुआत से ही जनरलाइज्ड सिस्टम आफ प्रीफरेन्स प्रमाण-पत्र जारी कर रहा है हाल ही में सरकार

ने उन स्थानों में जहां केन्द्रीय रेशम बोर्ड प्रमाणिकरण के अपने केन्द्रों को चला रहा है, के अन्य क्षेत्रों में अन्य प्राधिकरणों को भी रेशम की वस्तुओं के लिए जनरलाइज्ड सिस्टम आफ प्रीफरेन्स प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया है।

इस समय केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बंग लौर, बम्बई, भागलपुर, कलकत्ता, मद्रास नई दिल्ली, श्रीनगर तथा वाराणसी में लदान पूर्व निरीक्षण करने तथा विभिन्न भाड़ा प्रमाण-पत्र को जोकि विदेशों के साथ हुए व्यापार करारनामें के अन्तर्गत अपेक्षित है जिसमें जनरलाइज्ड सिस्टम आफ प्रीफरेंन्स प्रमाण-पत्र भी शामिल है को जारी करने के लिए 8 प्रमाणीकरण केन्द्र हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड जनरलाइज्ड सिस्टम आफ प्रीफरेंन्स प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए रेशम उत्पादों के मामले में निरीक्षण तभी करता है जबकि यह शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत निर्यात किए जा रहे हों। तथापि, शुल्क छूट योजना के अलावा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्यात किए गए शुल्क रेशम उत्पादों तथा 100% रेशम के रेंशे वाले कालीनों के अलावा अन्य किस्मों के लिए रेशम निर्यातकों के घोषणा पत्र के आधार पर जनरलाइज्ड सिस्टम आफ प्रीफरेन्स प्रमाण-पत्रों को जारी करना बना रहे। प्रमाण-पत्रों को जारी करने की प्रक्रिया में हाल ही में कोई संशोधन नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय रेशम बोर्ड समय-समय पर इस बात की जांच करता है कि लोगों द्वारा इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रक्रियाओं में किसी संशोधन की आवश्यकता है।

Average price paid by Maharashtra Cotton Monopoly Scheme and CCI

2713. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of TEXTILES be plesaed to state-.

(a) what is the final total average price paid by Maharashtra in the cotton Monopoly Scheme to its grower[5]! and how much of! it was paid by cotton Corporation of India (CCI) to growers during last three years; and

(b) what was its percentage above the support price of that year?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) Final total average price paid to growers by CCI and Maharashtra Cotton Monopoly Scheme and its percentage above support price during the last three years is as under: —

COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

Year	Price per qtl. of kapas	% above support price
1990-91	965.76	39.96
1991-92	1379.78	81.27
1992-93	1021.87	20.65

MAHARASHTRA COTTON MONOPOLY SCHEME:

Year	Avg. price per qtl. (Rs.)	% above support price
1990-91	937	33
1991-92	1134	43
1992-93*		

*Tht figures have not been made available by Maharashtra Federation.